

6574(E)
1213118

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-17/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत साहेबगंज-बाईपास पथ के कि०मी० ० से 1.80 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2855(अनु०) दिनांक 30.08.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत साहेबगंज-बाईपास पथ के कि०मी० ० से 1.80 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | SBD-26 / 2012-13 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹364.277 लाख । |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | M/s Durga Construction |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 22.01.2013 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 21.01.2014 |
| 2.7 | मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि तिथि | : | 21.12.2014 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की तिथि | : | अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5855(एस) दिनांक 09.09.2015 द्वारा योजना को यथास्थिति बन्द करने का आदेश प्राप्त है । |



3. समयवृद्धि का कारण:-

भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण बाधा - संवेदक द्वारा दिनांक 02.05.2013 को प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित किया गया कि भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर एवं आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-2438 दिनांक 24.06.2013 द्वारा भी समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को अविलंब कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा भू-अर्जन हेतु वांछित राशि भी पत्रांक-1098 दिनांक 26.07.2013 द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई थी।

भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 04.07.2015 को अर्जित भूमि का अधिपत्य/दखल-दहानी दिया गया। प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक-1350 दिनांक 15.11.2014 द्वारा संवेदक को भू-अर्जन होने वाले पथांशों को छोड़कर शेष उपलब्ध भूमि पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा कार्य की अंतिम मापी दिनांक 21.12.2014 को लेते हुए प्रमंडल को सूचना दी गयी कि शेष उपलब्ध जमीन पर संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है। जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा कुल 11 माह अर्थात् दिनांक 21.12.14 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है। अधीक्षण अभियंता द्वारा भी उक्त अवधि तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-





तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 21.12.2014 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। संवेदक द्वारा Price Neutralization संबंधी किसी प्रकार का दावा पेश नहीं करने का आवेदन लिखित रूप में देने के कारण संवेदक को विस्तारित अवधि में Price Escalation का लाभ नहीं दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।



5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2855(अनु0) दिनांक 30.08.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत साहेबगंज-बाईपास पथ के कि०मी० 0 से 1.80 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 (एकरारनामा सं०- SBD-26 / 2012-13) हेतु दिनांक 21.12.2014 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबवाइंट पर भी डाली जाय।

 (रामावतार साह) मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना	 (रजिव कुमार) उप सचिव -सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ज्ञापानक-प्र०-7/विविध (संवृ०)-06-168/2018- 6574(E) पटना, दिनांक.....17/9/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

av 7 ABP